एम.एम. कुमार, जे. के समक्ष

ओस लाल, - *एपेलेंट / वादी*

बनाम

बलवंत *सिंह, – उत्तरदाताओं / रक्षकों*

आर.स.ए. 2005 की संख्या 1911

12 सितंबर, 2005

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 – हरियाणा भूमि जोत सीमा अधिनियम, 1972– *धारा 26 – आवंटन प्राधिकारी वादी के पक्ष में अधिशेष क्षेत्र का आवंटन रद्द कर रहा है– वादी आवंटन हेतु पात्र नहीं है– सही तथ्य छिपाकर सरप्लस पूल से आवंटन प्राप्त किया गया - रद्द करने का आदेश वित्तीय आयुक्त तक बरकरार रखा गया -वादी दीवानी न्यालालय में भी असफल हो रहा है- वादी का कपटपूर्ण आचरण - किसी भी राहत का दावा करने का हकदार नहीं है - वादी के कपटपूर्ण आचरण के संबंध में नीचे दोनों न्यायालयों द्वारा दर्ज तथ्य के निष्कर्ष - यह मानने के लिए पर्याप्त है कि वादी किसी भी राहत का हकदार नहीं है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित अधिशेष पूल से आवंटन को रद्द करने के आदेश को बरकरार रखा जा सकता है।*

अभिनिर्णित, वादी-अपीलकर्ता आवंटन के लिए पात्र नहीं था क्योंकि वादी-अपीलकर्ता के पिता के नाम पर *154* कनाल *15* मरला और उसकी पत्नी के नाम पर *26* कनाल *18* मरला भूमि थी। उपरोक्त तथ्यों को छिपाकर सरप्लस पूल से आवंटन प्राप्त किया गया। यह माना गया है कि राज्य के पास अधिशेष पूल में असीमित भूमि नहीं है जो पात्र व्यक्तियों को आवंटित करने योग्य हो। तदनुसार, वादी-अपीलकर्ता के पक्ष में किया गया आवंटन, दिनांक 13 मार्च, 1981 के आवंटन आदेश के तहत, 30 जनवरी, 1990 को आवंटन प्राधिकारी द्वारा उचित जांच के बाद रद्द कर दिया गया था। आदेश को वित्तीय आयुक्त तक बरकरार रखा गया है। यह भी पाया गया है कि पहले भी दो सिविल वाद खारिज होने पर वादी-अपीलकर्ता कानूनी लड़ाई हार चुका है। पहले के मुकदमों में पारित निर्णय और डिक्री दोनों प्रासंगिक होंगे। इस तथ्य के बावजूद कि उपरोक्त निर्णय अंतर-पक्षीय

नहीं हैं क्योंकि दोनों निर्णय और डिक्री एक ही भूमि, एक ही आवंटन पत्र और एक ही निरस्तीकरण पत्र से संबंधित हैं। अन्यथा भी, वादी-अपीलकर्ता के कपटपूर्ण आचरण ने उसे किसी भी राहत का दावा करने का अधिकार नहीं दिया है। अधिकारियों द्वारा पारित निरस्तीकरण के आदेश को बरकरार रखा जाना चाहिए क्योंकि जो लोग अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार भूमिहीन हैं, वे अधिशेष भूमि आवंटित करने के पात्र हैं। वादी-अपीलकर्ता जैसे व्यक्ति को इस तथ्य के बावजूद कि उसकी पत्नी और पिता के पास विशाल भूमि संपत्ति है, अधिशेष पूल से भूमि हड़पने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसलिए, नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों द्वारा दर्ज किए गए तथ्य के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने की कोई गुंजाइश नहीं है कि वादी-अपीलकर्ता द्वारा प्राप्त अधिशेष क्षेत्र का आवंटन एक कपटपूर्ण कार्य है क्योंकि वह अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत पात्र नहीं था।

(पैरा 4)

एल.एन. अपीलकर्ता की ओर से वर्मा, अधिवक्ता।

देवी लाल वी. बलवान सिंह417

(M.M. कुमार, जे।)

निर्णय

एम.एम. कुमार, जे.

(1) यह वादी की अपील है जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (संक्षिप्तता के लिए, 'संहिता') की धारा 100 के तहत दायर की गई है, जिसमें नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों द्वारा दर्ज किए गए तथ्य के समवर्ती निष्कर्षों को चुनौती दी गई है, जिसमें कहा गया है कि आवंटन प्राधिकरण का आदेश, दिनांक 30 जनवरी, 1990 रद्द किया जा रहा है। वाद भूमि के आवंटन में कोई कानूनी खामी नहीं थी। यह उल्लेख करना उचित होगा कि अधिशेष क्षेत्र के आवंटन को रद्द करने का आदेश दिनांक 13 मार्च, 1981 को

आवंटन प्राधिकारी द्वारा, दिनांक 30 जनवरी, 1990 के आदेश द्वारा, इस आधार पर रद्द कर दिया गया था कि वादी-अपीलकर्ता अधिशेष के आवंटन के लिए पात्र नहीं था। क्षेत्र और आवंटन तथ्यों की गलत बयानी करके प्राप्त किया गया था; और सच्चे और भौतिक तथ्यों को छिपाकर भी। आदेश, दिनांक 30 जनवरी, 1990 को आयुक्त द्वारा बरकरार रखा गया था जब वादी-अपीलकर्ता द्वारा दायर अपील 15 दिसंबर, 1991 को खारिज कर दी गई थी और पुनरीक्षण याचिका भी 22 मई, 1992 को वित्तीय आयुक्त के समक्ष विफल हो गई थी। वादी-अपीलकर्ता ने भी 1990-1993 के सिविल सूट नंबर 1516-सी और 1518 नामक दो मुकदमे दायर किए। पहला मुकदमा हरियाणा राज्य और अन्य के खिलाफ राजस्व अधिकारियों के उपरोक्त आदेशों को चुनौती देते हुए दायर किया गया था, जिसे 18 नवंबर, 1995 को अतिरिक्त वरिष्ठ उप-न्यायाधीश, सिरसा द्वारा खारिज कर दिया गया था। दूसरा मुकदमा 86 कनाल 12 मरला भूमि के संबंध में हरियाणा राज्य को प्रतिवादी बनाकर शंकर आदि के खिलाफ दायर किया गया था, जिसे भी 18 जनवरी, 1995 को सिरसा के उसी अधीनस्थ न्यायाधीश द्वारा खारिज कर दिया गया है। प्रतिवादी-प्रतिवादियों ने मुकदमे की संपत्ति बेच दी थी, - बिक्री विलेख, दिनांक 27 अक्टूबर, 1988 के माध्यम से और एक सिविल मुकदमा, जिससे तत्काल कार्यवाही उत्पन्न हुई, 20 नवंबर, 1994 को इस आशय की घोषणा की मांग करते हुए दायर किया गया था कि वादी-अपीलकर्ता है वर्ष 1987-88 की जमाबंदी के अनुसार 16 मरला भूमि का मालिक। आगे दावा किया गया कि इसके विपरीत राजस्व रिकॉर्ड यह दर्शाता है कि प्रतिवादी-प्रतिवादी मालिक थे, गलत था, कानून और तथ्यों के खिलाफ था और वे अनधिकृत कब्जे में थे। परिणामी राहत के रूप में स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री भी मांगी गई है ताकि उन्हें सर्विस स्टेशन आदि का निर्माण करने से रोका जा सके। चूंकि वादी-अपीलकर्ता पहले ही अन्य आवंटन के संबंध में मुकदमा हार चुका है - 30 जनवरी 1990 के आदेश के तहत, जिसे वित्तीय आयुक्त ने 22 मई, 1992 को बरकरार रखा था, निचली दोनों

अदालतों ने माना है कि 18 नवंबर, 1995 के फैसले और डिक्री अंतिम रूप ले चुके हैं, क्योंकि सिविल कोर्ट ने आवंटन को बरकरार रखा था। प्राधिकरण ने वादी-अपीलकर्ता के पक्ष में अधिशेष क्षेत्र का आवंटन रद्द कर दिया है। समीक्षा करने की शक्ति की कमी के संबंध में तर्क को इस आधार पर खारिज कर दिया गया है कि वादी-अपीलकर्ता ने आवंटन प्राधिकरण के साथ धोखाधड़ी करके अधिशेष क्षेत्र का आवंटन प्राप्त किया, जिसे राज्य और आम जनता के साथ धोखाधड़ी माना गया है।

(2) वादी-अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि आवंटन प्राधिकारी के पास समीक्षा की कोई शक्ति नहीं थी और इसलिए, आवंटन रद्द करने के आदेश, दिनांक 30 जनवरी, 1990, 15 दिसंबर, 1991 और 22 मई, 1992 उत्तरदायी हैं। अलग रखा जाए. विद्वान वकील ने आगे कहा है कि वादी-अपीलकर्ता के मुकदमे पर परिसीमा अवधि से परे विचार नहीं किया जा सकता है और न ही यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि केवल धोखाधड़ी के आरोपों के कारण, सिविल न्यायालय क्षेत्राधिकार प्राप्त कर लेगा। विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया कि एक बार सिविल कोर्ट ने यह निष्कर्ष दर्ज कर लिया है कि हरियाणा सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग्स एक्ट, 1972 (संक्षिप्तता के लिए, 'अधिनियम') की धारा 26 के कारण, सिविल कोर्ट का क्षेत्राधिकार वर्जित है, तो फिर मुकदमे का निर्णय गुण-दोष के आधार पर किया जाना चाहिए था और वादी-अपीलकर्ता को उचित मंच पर विवादित आदेश को चुनौती देने का अवसर दिया जाना चाहिए।

(3) यह अच्छी तरह से स्थापित है कि धोखाधड़ी सभी बाधाओं को पार कर जाती है और क्षेत्राधिकार आदि से संबंधित कोई भी तकनीकी नियम ऐसे कृत्य के खिलाफ फैसला सुनाने में आड़े नहीं आएगा। इस संबंध में **एस.पी. चेंगलवरैया नायडू (मृत) एल. रु. बनाम जगन्नाथ (मृत) एल. रु. द्वारा और अन्य (1)** के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणियों का संदर्भ लिया जा सकता है। यह माना गया है कि धोखाधड़ी किसी दूसरे

का अनुचित लाभ उठाकर कुछ हासिल करने के इरादे से जानबूझकर किया गया धोखा है। दूसरे को हानि पहुंचाकर लाभ प्राप्त करना एक धोखा है। यह एक धोखाधड़ी है जिसका उद्देश्य दूसरे पर लाभ प्राप्त करना है। मुख्य न्यायाधीश एडवर्ड कोक की प्रसिद्ध टिप्पणियों का उल्लेख करते हुए, उनका आधिपत्य इस प्रकार है: -

> *"लगभग तीन शताब्दी पहले इंग्लैंड के मुख्य न्यायाधीश एडवर्ड कोक ने कहा था, "धोखाधड़ी सभी न्यायिक कृत्यों से बचती है, चाहे वह चर्च संबंधी हो या लौकिक" यह कानून का स्थापित प्रस्ताव है कि अदालत में धोखाधड़ी करके प्राप्त निर्णय या डिक्री कानून की नजर में अमान्य और गैर-स्थायी है। इस तरह के निर्णय/डिक्री को - प्रथम न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा - प्रत्येक न्यायालय द्वारा, चाहे वह श्रेष्ठ या निम्न हो, अमान्य माना जाना चाहिए। इसे किसी भी अदालत में, यहाँ तक कि संपार्श्विक कार्यवाही में भी चुनौती दी जा सकती है।"*

(4) वर्तमान मामले में, यह रिकॉर्ड पर आया है कि वादी-अपीलकर्ता आवंटन के लिए पात्र नहीं था क्योंकि वादी-अपीलकर्ता के पिता के नाम पर 154 कनाल 15 मरला और उसकी पत्नी श्रीमती चांदो के नाम पर 26 कनाल 18 मरला भूमि थी। उपरोक्त तथ्यों को छिपाकर सरप्लस पूल से आवंटन प्राप्त किया गया। यह माना गया है कि राज्य के पास अधिशेष पूल में असीमित भूमि नहीं है जो पात्र व्यक्तियों को आवंटित करने योग्य हो। तदनुसार, वादी-अपीलकर्ता के पक्ष में आवंटन किया गया, - 13 मार्च, 1981 के आवंटन आदेश को 30 जनवरी, 1990 को आवंटन प्राधिकारी द्वारा उचित जांच के बाद रद्द कर दिया गया था। आदेश को वित्तीय आयुक्त तक बरकरार रखा गया है। यह भी पाया गया है कि पहले भी, वादी-अपीलकर्ता कानूनी लड़ाई हार चुका है जब दो दीवानी दावा नंबर 1516- सी (एक्सएस डी 4 और डी 5) और 1990-1993 के दीवानी दावा नंबर 1518 को खारिज कर दिया गया था। पहले के मुकदमों में पारित

निर्णय और डिक्री दोनों प्रासंगिक होंगे जैसा कि **साहू माधो दास और अन्य बनाम मुकंद राम और अन्य (2)**, और **विरुपक्षय्या शंकरय्या बनाम नीलकंठ शिवाचार्य पट्टादादेवरु (3)**, के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित किया गया है। इस तथ्य के बावजूद कि उपरोक्त निर्णय अंतर-पक्षीय नहीं हैं क्योंकि दोनों निर्णय और डिक्री एक ही भूमि, एक ही आवंटन पत्र और एक ही निरस्तीकरण पत्र से संबंधित हैं। अन्यथा भी, वादी-अपीलकर्ता के कपटपूर्ण आचरण ने उसे किसी भी राहत का दावा करने का अधिकार नहीं दिया है। अधिकारियों द्वारा पारित निरस्तीकरण के आदेश को बरकरार रखा जाना चाहिए क्योंकि अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार जो लोग भूमिहीन हैं, वे अधिशेष भूमि आवंटित करने के पात्र हैं। वादी-अपीलकर्ता जैसे व्यक्ति को इस तथ्य के बावजूद कि उसकी पत्नी और पिता के पास विशाल भूमि संपत्ति है, अधिशेष पूल से भूमि हड़पने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। **एस.पी. चेन्नालवरैया नायडू के मामले (सुप्रा)** में सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण वर्तमान मामले के तथ्यों पर पूरी तरह से लागू होगा। उपरोक्त सिद्धांत का सुप्रीम कोर्ट ने **राम चंद्र सिंह बनाम सावित्री देवी, (4)** और **रामप्रीत यादव बनाम यूपी हाई स्कूल बोर्ड, (5)** के मामले में अपने बाद के फैसले में भी पालन और लागू किया है। इसलिए, नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों द्वारा दर्ज किए गए तथ्य के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने की कोई गुंजाइश नहीं है कि वादी-अपीलकर्ता द्वारा प्राप्त अधिशेष क्षेत्र का आवंटन एक कपटपूर्ण कार्य है क्योंकि वह अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत पात्र नहीं था।

(5) विद्वान वकील का यह तर्क कि समीक्षा की कोई शक्ति नहीं थी, ने मुझे प्रभावित नहीं किया है क्योंकि आवंटन प्राधिकारी ने निरस्तीकरण आदेश पारित करने से पहले वित्तीय आयुक्त, राजस्व से आदेश प्राप्त करने में सावधानी बरती है, जिनके पास अधिनियम की धारा 18(6) के तहत समीक्षा की स्वत: प्रेरणा आदि शक्तियाँ हैं। इसके अलावा, राज्य सरकार

ने धोखाधड़ी के मामलों में आवंटन प्राधिकरण को रद्द करने की शक्तियां प्रदान करते हुए स्पष्ट निर्देश भी जारी किए हैं। इसलिए, इस तर्क में कोई दम नहीं है कि अधिनियम के तहत अधिकारियों को 13 मार्च, 1981 के आवंटन आदेश की समीक्षा करने की कोई शक्ति नहीं थी।

(6) दूसरा तर्क यह है कि मुकदमा वास्तव में सीमा के भीतर है, इस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। यदि उपरोक्त तर्क को स्वीकार कर लिया जाता है, तो वादी-अपीलकर्ता के कपटपूर्ण आचरण के संबंध में तथ्य के निष्कर्ष यह मानने के लिए पर्याप्त हैं कि वह किसी भी राहत का हकदार नहीं है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिशेष पूल से आवंटन रद्द करने के आदेश पारित किए गए हैं। दंगा किसी भी चुनौती के लिए खुला है। यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि सिविल कोर्ट ने वादी-अपीलकर्ता को अधिशेष पूल से भूमि के आवंटन को रद्द करने के आदेशों की शुद्धता के संबंध में निष्कर्ष दर्ज नहीं किया होगा क्योंकि संहिता के आदेश XIV द्वारा विचार किया गया ऐसा कोई कंबल प्रतिबंध नहीं है। को प्रारंभिक मुद्दों पर ही निर्णय सुनाना होता है। इसके विपरीत, संहिता के आदेश XIV नियम 2 के तहत, यह माना गया है कि ऐसे मामलों में जहां कानून और तथ्य दोनों के मुद्दे एक ही मुकदमे में उठते हैं, न्यायालय सभी मुद्दों पर निर्णय सुनाने के लिए बाध्य है, जब तक कि वह यह राय दर्ज करता है कि मामले या उसके किसी भी हिस्से का निपटारा अकेले कानून के मुद्दे पर किया जा सकता है। वर्तमान मामले में, यह पाया गया है कि अधिनियम के तहत अधिकारियों को तब तक खुली छूट दी जानी चाहिए जब तक वादी-अपीलकर्ता का आचरण धोखाधड़ीपूर्ण पाया गया है और इसलिए, सिविल कोर्ट को हस्तक्षेप करने का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा। आवंटन रद्द करने के ऐसे आदेश के साथ क्योंकि अधिनियम की धारा 26 के तहत, सिविल कोर्ट के पास सिविल मुकदमे की सुनवाई का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। यदि सिविल कोर्ट वादी-अपीलकर्ता के कपटपूर्ण आचरण के विपरीत किसी निष्कर्ष पर पहुंचा होता, तो यह माना

जा सकता था कि अधिकारियों ने वैधानिक सीमाओं के भीतर काम नहीं किया है, जिसके परिणामस्वरूप क्षेत्राधिकार का अधिग्रहण होगा जो अधिनियम का धारा 26 द्वारा बनाई गई रोक से परे होगा। इसलिए, वादी-अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा उठाए गए तर्क में कोई दम नहीं है।

(7) उपर्युक्त कारणों से, यह अपील विफल हो जाती है और इसे 10,000 रुपये की लागत से निर्धारित लागत के साथ खारिज कर दिया जाता है। विद्वान अधिवक्ता की वादी-अपीलकर्ता को आवंटन प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 30 जनवरी, 1990 को चुनौती देने की अनुमति देने की प्रार्थना जो आवंटन प्राधिकारी द्वारा 13 मार्च, 1981 को किए गए आवंटन को रद्द करते हुए पारित किया गया, आयुक्त, हरियाणा द्वारा पारित आदेश दिनांक 15 दिसंबर, 1991 तथा वित्तीय आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 22 मई, 1992 को किसी अन्य फोरम के समक्ष स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि वहां मौजूद है। पार्टियों के साथ कोई औचित्य और पर्याप्त न्याय नहीं किया गया है। वादी-अपीलकर्ता को इस न्यायालय द्वारा दी गई लागत आज से दो महीने की अवधि के भीतर कानूनी सेवा प्राधिकरण, हरियाणा के पास जमा करानी होगी। लागत की वसूली के संबंध में एक सूचना संबंधित प्राधिकारी को भेजी जाएगी और यदि लागत जमा नहीं की जाती है, तो मामले को सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी विपरीत आदेश के अधीन, तत्काल सूची में सूचीबद्ध किया जाएगा।

<u>अस्वीकरण:</u>

स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उदेश्यों के लिये निर्णय

का अंग्रेज़ी सस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

सागर शर्मा
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
नूँह, हरियाणा